- आवेदन फार्म ऑन लाइन जमा करने और पंजीकरण फीस का ऑन लाइन भुगतान करने की सुविधा **www.textilescommittee.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाएगी। आवेदन फार्म ऑन लाइन प्रस्तुत किए जाने पर वेबसाइट से प्राप्त पावती और ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उत्पाद के नमूने के साथ आवेदन फार्म की एक प्रति वस्त्र समिति या बुनकर सेवा केन्द्र के संबंधित कार्यालय को भी बाद में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

पंजीकरण मंजूर करने की प्रक्रिया

- आवेदन फार्म प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के पदाधिकारी सत्यापन के लिए उत्पादन सुविधा/परिसरों का दौरा करेंगे।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए फैब्रिक नमूने का गुणवत्ता परीक्षण वस्त्र समिति की प्रयोगशालाओं में किया जाएगा।
- आवेदक को पंजीकरण से संबंधित सूचना आवेदन फार्म प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर दी जाएगी। पंजीकरण होने पर आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ काम्पैक्ट डिस्क के अंदर इंडिया हैंडलूम ब्रांड का लोगो भेजा जाएगा।
- पंजीकरण की वैधता अवधि पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष के लिए होगी । इसके बाद इस पंजीकरण का नवीकरण इसी प्रक्रिया से किया जाएगा।
- पंजीकरण के बाद वस्त्र समिति और बुनकर सेवा केन्द्र के पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन के लिए प्रयोक्ता के पंजीकृत परिसरों का आवधिक दौरा किया जाएगा।
- यदि आवधिक सत्यापन किए जाने पर कोई उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाता है तो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। पंजीकरण रद्द करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर इसके विरुद्ध विकास आयुक्त (हथकरघा) के पास अपील दायर की जा सकती है।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड का उपयोग

- पंजीकृत प्रयोक्ता अपने द्वारा बनाए गए या बेचे गए प्रत्येक उत्पाद पर लेबल लगाएगा जिस पर इंडिया हैंडलूम ब्रांड का लोगो और पंजीकरण संख्या होगी। प्रत्येक उत्पाद पर यार्न का काउंट, किनारी/पिक प्रति इंच, जरी/सजावट का प्रकार, प्रयोग किए गए रंजक का स्वरुप आदि जैसे गुणवत्ता मानकों का उल्लेख करने वाला एक अलग टैग भी लगाया जाएगा।
- पंजीकृत प्रयोक्ताओं को वस्त्र समिति के पैनल में रखे प्राधिकृत लेबल विनिर्माताओं से ही लेबल प्राप्त करने होंगे। पैनल में रखे गए लेबल विनिर्माताओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए निकटतम बुनकर सेवा केन्द्र या वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
- ग्राहक लेबल की वास्तविकता का सत्यापन www.textilescommittee.gov.in और www.handlooms.nic.in पर दी गई पंजीकृत प्रयोक्ताओं की सूची से कर सकते हैं।

किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें:

- निकटतम बुनकर सेवा केन्द्र
- विकास आयुक्त(हथकरघा)
कमरा सं. 55
वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
उद्योग भवन
नई दिल्ली- 110011

  दूरभाष: 011-23062945,23063684
फैक्स: 011-23062429
ई-मेल: dchl@nic.in

- वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
- सचिव
वस्त्र समिति
वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार
पी बालू रोड, प्रभादेवी
मुम्बई- 400025

  दूरभाष: 022- 66527507,66527506
फैक्स: 022-66527509
ई-मेल: secy.tc@nic.in/secytc@gmail.com

18.09.2015

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय

इंडिया हैंडलूम ब्रांड

इंडिया हैंडलूम ब्रांड के बारे में

इंडिया हैंडलूम ब्रांड अच्छी किस्म के हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है। यह अच्छी किस्म के हथकरघा उत्पादों की बाज़ार में अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। साथ ही, इससे ग्राहक हथकरघा उत्पादों से संबन्धित कच्चे माल, संसाधन, सजावट, बुनाई, डिजाइन और गुणवत्ता के अन्य मापदंडों और सामाजिक और पर्यावरण संबंधी मानदंडों के अनुपालन के बारे में आश्वस्त होंगे जिससे अच्छी किस्म के हथकरघा उत्पादों को ग्राहकों का विश्वास प्राप्त हो सकेगा। यह अच्छी किस्म, प्रामाणिक परम्परागत डिजाइनों, शून्य त्रुटि वाले और पर्यावरण पर शून्य प्रभाव वाले हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देगा।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड प्राप्त होने पर लाभ

- प्रीमियम इंडिया हैंडलूम ब्रांड के हथकरघा उत्पाद गुणवत्ता के मामले में दूसरे उत्पादों से भिन्न होंगे।
- ब्रांड से ग्राहक को यह आश्वस्त किया जाएगा कि इस उत्पाद की अच्छी किस्म है जिसमें उचित फैब्रिक, अच्छी किस्म के यार्न और रंजक का प्रयोग किया गया है और जो प्रतिबंधित रंजकों से मुक्त है।
- थोक के खरीददारों और निर्यातकों को उनके डिजाइनों के अनुसार अच्छी किस्म के ब्रांडेड फैब्रिक मिल सकेंगे।
- बुनकरों का बाजार के साथ सीधा संपर्क बनने से थोक में आपूर्ति आदेश मिल सकेंगे और उनकी आय बढ़ेगी।
- बुनकर उद्यमी और दूसरे विनिर्माता देश के अंदर और बाहर थोक में अच्छी किस्म के फैब्रिक से उत्पादन और बिक्री कर सकेंगे।
- अच्छी किस्म के मूल्य संवर्धित उत्पादों से हथकरघा क्षेत्र से संबंधित महिलाओं और दूसरे कमजोर वर्गों के लोगों की आय बढ़ने से वे सशक्त बनेंगे।
- विनिर्माताओं के साथ-साथ ग्राहकों में जागरुकता बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय मीडिया के माध्यम से ब्रांड को सक्रिय रुप से बढ़ावा देगा और इंडिया हैंडलूम ब्रांड के उत्पादों की मांग बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेगा।
- ब्रांड के पंजीकृत प्रयोक्ताओं की सूची वस्त्र समिति की आधिकारिक वेबसाइट (www.textilescommittee.gov.in) और विकास आयुक्त (हथकरघा) की वेबसाइट (http://www.handloom.nic.in) में दी गई है।

कार्यान्वयन

इंडिया हैंडलम ब्रांड की पहल वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में वस्त्र समिति की सहायता से विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

आवेदन करने के लिए पात्र संगठन

- निम्नलिखित सहित हथकरघा फैब्रिक का उत्पादन करने वाली वास्तविक फर्म/संस्था :
  - ✓ प्राथमिक हथकरघा सहकारी सोसाइटियां
  - ✓ स्वयं सहायता समूह, कंसोर्शिया, उत्पादक कंपनियां, संयुक्त जवाबदेह समूह (जेएलजी)
  - ✓ बुनकर उद्यमी
- गारमेंट और बने-बनाए वस्त्रों के उत्पादक, बशर्ते कि वे इंडिया हैंडलूम ब्रांड वाले फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे तथा सिलाई, मानक आकार से संबंधित अतिरिक्त गुणवत्ता वाले मानदंडों का पालन करेंगे।

ब्रांडिंग के लिए पहचाने गए उत्पाद

- भौगोलिक संकेतन (जीआई) पंजीकरण और उनके विशेष गुणों के आधार पर इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत ब्रांडिंग के लिए निम्नलिखित उत्पादों की पहचान की गई है।
- सभी उत्पादों के लिए विशिष्ट मानक गुणवत्ता मानदंड www.handlooms.nic.in पर उपलब्ध है।
- यार्न, किनारी/प्रति इंच पिक और आकार के काउंट जैसे गुणवत्ता मानदंडों पर +/-5% की छूट दी जा सकती है।

उत्पाद श्रेणी	उत्पाद उप-श्रेणी या वस्तु
साड़ी: कॉटन	जामदानी, तंगेल, शांतिपुरी, धनियाखली, बिचित्रपुरी, बोमकई, कोटपाड, पोचमपल्ली, वेंकटगिरि, उप्पद सिद्धिपेठ, नारायणपेठ, मंगलागिरी, चेतिनाड, बलरामपुरम, कसरगोड, कुठमपल्ली, चेंदामंगलम धोती।
साड़ी: सिल्क	बलुचरी, मुगा सिल्क, सुआलकुची सिल्क, खंडुवा, ब्रह्मपुरी, बोमकई सिल्क, बनारस ब्रोकेड, तंचोई, बनारसी बुटीदार, जंगला, बनारसी कटवर्क, पोचमपल्ली, धरमावरम, कांचीपुरम, अर्नी सिल्क, मोल्कालमुरु, पैठानी, पाटन पटोला, चम्पा सिल्क, अशावली सिल्क, सेलम सिल्क (धोती), उप्पद जामदानी।
साड़ी: कॉटन सिल्क	चन्देरी, महेश्वरी, कोटा डोरिया, इलकल, गडवाल, कोवई कोरा कॉटन।
ड्रेस मैटीरियल: कॉटन	ओडिशा इकत, पोचमपल्ली इकत।
ड्रेस मैटीरियल: सिल्क	तंचोई, बनारसी कटवर्क, ओडिशा इकत, पोचमपल्ली इकत, टसर फैब्रिक, मुगा फैब्रिक, मेखला/चादर।
बैड शीट	ओडिशा इकत, पोचमपल्ली इकत।
स्कार्फ/शॉल/चादर	कानी शॉल (हाथ से बुनी/मिल में बुनी), किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल, तंगलिया शॉल, कच्छ शॉल, वांग्खी फी।

इंडिया हैंडलूम ब्रांड में और उत्पादों को शामिल करने के सुझाव विकास आयुक्त (हथकरघा), उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया

- आवेदक निर्धारित आवेदन फार्म मुफ्त में निकटतम बुनकर सेवा केन्द्र या वस्त्र समिति के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है या उसे **www.textilescommittee.gov.in** और **www.handlooms.nic.in** से डाउनलोड कर सकता है।
- आवेदक को पंजीकरण फीस और उत्पाद के नमूने के साथ विधिवत भरे आवेदन पत्र की दो प्रतियों जमा करवानी होंगी। पावती के रुप में आवेदन पत्र की दूसरी प्रति आवेदक को लौटाई जाएगी जिसमें आवेदन पत्र संख्या और संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
- निम्निखित केन्द्रों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है:
  - ✓ बुनकर सेवा केन्द्र
  - ✓ वस्त्र समिति के कार्यालय
- एक से अधिक उत्पाद उपश्रेणी या वस्तुओं के लिए एक आवेदन पत्र का प्रयोग किया जा सकता है।
- उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी के लिए पंजीकरण फीस 500/-रुपये (+ लागू कर) प्रति उत्पाद उपश्रेणी/वस्तु है। एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किए गए सभी उत्पादों के लिए पंजीकरण फीस 5000/-रुपये (+ लागू कर) से अधिक नहीं होगी।
- पंजीकरण फीस वस्त्र समिति के पक्ष में देय और वस्त्र समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के स्थान पर देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।
- यदि आवेदन पत्र बुनकर सेवा केन्द्र में जमा किया जाता है तो डिमांड ड्राफ्ट मुम्बई में और वस्त्र समिति के पक्ष में देय होना होना चाहिए।
- रनिंग मैंटिरियल या यार्डेज के मामले में आवेदक को पूरी चौड़ाई के फैब्रिक में 0.25 मीटर लंबे उत्पाद का नमूना प्रस्तुत करना होगा।
- पूरे उत्पाद के मामले में (साड़ी, शॉल आदि जैसे) पूरे उत्पाद के साथ यार्न, रंजक और जरी जैसे बचे हुए कच्चे माल से बना नमूना प्रस्तुत करना होगा। नमूने के रुप में प्रस्तुत किए गए पूरे उत्पाद का गुणवत्ता परीक्षण करने के बाद उसे आवेदक को लौटा दिया जाएगा।